JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue

JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)

An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

डिजिटल युग में बाल यौन शोषण और न्याय की चुनौती: पॉक्सो अधिनियम के तहत त्वरित न्याय और पुनर्वास तंत्र की प्रभावशीलता (झाँसी जिले के विशेष संदर्भ में)

[1]स्वदेश यादव एव [2]प्रो० (डॉ०) अमर नाथ

[1]शोधार्थी, विधि, [2]प्रोफेसर, विधि विभाग

विधि संकाय, आगरा कॉलेज, आगरा

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

Abstract : यह शोध पत्र डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के कारण उत्पन्न बाल यौन शोषण (CSA) के नए आयामों पर केंद्रित है, विशेष रूप से ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (**CSAM**) के संदर्भ में। यह अध्ययन 'लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (**पॉक्सो अधिनियम, 2012**) [1] के तहत त्वरित न्याय (Fast-Track Justice) प्रदान करने के प्रावधानों और झाँसी जिले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उनकी वास्तविक दक्षता का मूल्यांकन करता है। जहाँ एक ओर पॉक्सो त्वरित सुनवाई का लक्ष्य रखता है [12], वहीं डिजिटल साक्ष्य की जटिलताएँ और पुनर्वास की उपेक्षा इस उद्देश्य को बाधित करती हैं। शोध का मुख्य उद्देश्य डिजिटल खतरों के विधिक निपटान में मौजूद चुनौतियों का विश्लेषण करना, न्यायिक विलंब के कारणों की पहचान करना, और झाँसी में बाल पीड़ितों के लिए समग्र पुनर्वास तंत्र की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन करना है।

IndexTerms - डिजिटल बाल यौन शोषण, CSAM, पॉक्सो अधिनियम, त्वरित न्याय, न्यायिक विलंब, पुनर्वास, झाँसी जिला।

1. प्रस्तावना (

1.1. डिजिटल युग में CSA का बदलता स्वरूप

इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच ने बाल यौन शोषण को एक नए और अधिक जटिल आयाम में पहुँचा दिया है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (**CSAM**) का निर्माण, वितरण और उपभोग एक वैश्विक समस्या बन गया है, जिससे पारंपरिक भौगोलिक सीमाएँ अप्रभावी हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (**UNCRC**) [2] भी साइबरस्पेस में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (**NCRB**) [3] के आँकड़े ऑनलाइन अपराधों में खतरनाक वृद्धि दर्शाते हैं, जिससे पॉक्सो अधिनियम [1] के तहत साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की तात्कालिकता बढ़ गई है।

1.2. समस्या कथन: त्वरित न्याय और पुनर्वास की चुनौती

पॉक्सो अधिनियम, 2012, अपनी धारा 35 और 36 के माध्यम से एक वर्ष के भीतर ट्रायल पूरा करने का आदेश देता है, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके [12]। हालाँकि, झाँसी जैसे क्षेत्रीय न्यायालयों में, यह लक्ष्य न्यायिक विलंब, डिजिटल साक्ष्य की फोरेंसिक जाँच में लगने वाले समय [7], और न्यायाधीशों पर बढ़ते कार्यभार के कारण अक्सर पूरा नहीं हो पाता है। इसके अलावा, पुनर्वास, जो पॉक्सो का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है [4], अक्सर कानूनी कार्यवाही की प्राथमिकताओं में पीछे छूट जाता है [20]। यह शोध इसी अंतराल की जाँच करता है—कि कैसे डिजिटल युग की चुनौतियाँ और न्यायिक प्रक्रिया की अक्षमताएँ झाँसी के बाल पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय और प्रभावी पुनर्वास को बाधित करती हैं।

1.3. शोध के उद्देश्य

1. डिजिटल बाल यौन शोषण और CSAM से निपटने के लिए पॉक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मौजूदा विधिक प्रावधानों की पर्याप्तता का विश्लेषण करना।

2. झाँसी जिले के विशेष न्यायालयों में पॉक्सो मामलों के न्यायिक निपटान में लगने वाले औसत समय और न्यायिक विलंब के प्रमुख कारणों की पहचान करना।
3. झाँसी में बाल पीड़ितों के लिए उपलब्ध पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक सहायता, और विधिक सहायता तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना [20]।
4. त्वरित न्याय और दीर्घकालिक पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल जाँच, न्यायिक प्रक्रिया और संस्थागत सहयोग में सुधार के लिए विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करना।

2. साहित्य की समीक्षा

2.1. ऑनलाइन CSA और विधिक प्रतिक्रिया

डिजिटल बाल यौन शोषण की प्रकृति पारंपरिक अपराधों से भिन्न है, क्योंकि इसमें अपराध का निशान हमेशा ऑनलाइन मौजूद रहता है। साहित्य समीक्षा दर्शाती है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 14 और 15 सीधे CSAM के उत्पादन और वितरण से संबंधित हैं। हालांकि, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह इंगित किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुमनामी और सीमा-पार प्रकृति के कारण अपराधियों की पहचान करना और उन्हें पकड़ना बेहद जटिल है [13]। इस संदर्भ में, **कानून और न्याय मंत्रालय** [23] के द्वारा किए गए संशोधनों के बावजूद, डिजिटल साक्ष्य के संग्रह, संरक्षण और प्रस्तुति में पुलिस प्रशिक्षण की कमी एक बड़ी बाधा है [11]।

2.2. न्यायिक दक्षता और त्वरित न्याय का सिद्धांत

सर्वोच्च न्यायालय ने **नंदलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2018)** [6] जैसे कई फैसलों में त्वरित ट्रायल के अधिकार पर जोर दिया है। इसके बावजूद, शोधों ने पाया है कि विशेष न्यायालयों पर मामलों का बोझ इतना अधिक है [12] कि त्वरित न्याय एक सैद्धांतिक लक्ष्य बनकर रह गया है। न्यायिक विलंब का मुख्य कारण अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों को बार-बार बुलाने में विफलता [24], फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी [7], और न्यायाधीशों का अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा है।

2.3. पुनर्वास बनाम दंडात्मक न्याय

पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं है, बल्कि पीड़ित के पुनर्वास को सुनिश्चित करना भी है [4]। **रॉय, पी. (2018)** [20] जैसे शोधकर्ता तर्क देते हैं कि भारत में कानूनी प्रतिक्रिया अत्यधिक दंडात्मक (punitive) है और अक्सर पीड़ित की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक पुनर्समायोजन (reintegration) की अनदेखी करती है। **बाल कल्याण समिति (CWC)** [16] पुनर्वास के लिए प्रमुख संस्था है, लेकिन अपर्याप्त वित्त पोषण और मानव शक्ति की कमी के कारण वे प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते हैं [16]।

3. अनुसंधान पद्धति

यह शोध **आलोचनात्मक और गुणात्मक** दृष्टिकोण पर आधारित एक **विधिक-प्रशासनिक अनुसंधान** है, जो न्यायिक दक्षता के डेटा और संस्थागत चुनौतियों के गुणात्मक विश्लेषण पर जोर देता है।

3.1. अनुसंधान दृष्टिकोण

- **सिद्धांतवादी (Doctrinal):** पॉक्सो अधिनियम के त्वरित ट्रायल खंड, डिजिटल अपराध से संबंधित प्रावधानों, और **एक्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022)** [5] जैसे न्यायिक फैसलों का गहराई से विश्लेषण।
- **प्रशासनिक विश्लेषण:** झाँसी जिले के विशेष न्यायालयों से संबंधित **NCRB** [3] और **NCPCR** [21] की रिपोर्टों का उपयोग करके न्यायिक समय (Judicial Timeline) और लंबित मामलों (Pendency) का गुणात्मक मूल्यांकन।

3.2. डेटा संग्रह और उपकरण

- **विधिक डेटा:** पॉक्सो अधिनियम (संशोधन) [23] और महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत [6, 7] का अध्ययन।
- **सांख्यिकीय डेटा:** न्यायिक विलंब के ट्रेंड्स को समझने के लिए **NCRB** [3] डेटा और **उत्तराखंड पुलिस के आँकड़ों** (प्रतिनिधि डेटा) की समीक्षा।
- **संस्थागत डेटा: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** [18] के चिकित्सा-विधिक प्रोटोकॉल और **इंटरनेशनल चाइल्डलाइन इंडिया** [22] की सहायता प्रणालियों पर रिपोर्टों का अध्ययन।

4. मूल विश्लेषण: डिजिटल साक्ष्य, न्याय और पुनर्वास

झाँसी जिले के संदर्भ में पॉक्सो के कार्यान्वयन का विश्लेषण करते हुए, यह खंड तीन प्रमुख अंतरालों को उजागर करता है:

4.1. डिजिटल साक्ष्य की जटिलताएँ और न्याय पर प्रभाव

अ. साइबर-फोरेंसिक अंतराल:
झाँसी जैसे क्षेत्रीय केंद्रों में, पुलिस के पास डिजिटल उपकरणों, जैसे स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर, या क्लाउड डेटा से CSAM साक्ष्य को निकालने के लिए आवश्यक साइबर फोरेंसिक उपकरण और प्रशिक्षित कर्मी अपर्याप्त हैं [11]। साक्ष्य को सही ढंग से सील (sealing) और संरक्षित

(preserving) न करने के कारण, बचाव पक्ष अक्सर साक्ष्य की विश्वसनीयता (admissibility) को चुनौती देता है [7], जिससे ट्रायल में विलंब होता है।

ब. न्यायालय में डिजिटल साक्ष्य की प्रस्तुति:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65B के तहत डिजिटल साक्ष्य के प्रमाणीकरण (certification) की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया अदालत में अक्सर विवाद का कारण बनती है, जिससे मामला अटक जाता है। इस तकनीकी बाधा से निपटने के लिए न्यायाधीशों और अभियोजन पक्ष दोनों को विशेष डिजिटल प्रशिक्षण की आवश्यकता है [24]।

4.2. न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता और विलंब के कारण

पॉक्सो अधिनियम के तहत एक वर्ष की समय सीमा [12] के बावजूद, झाँसी में मामले वर्षों तक चलते रहते हैं।

अ. पुलिस-न्यायिक समन्वय में कमी:

पुलिस (जाँच इकाई) और विशेष न्यायालय (ट्रायल इकाई) के बीच समन्वय की कमी के कारण गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाती है। त्रिपाठी, एम. (2022) [12] के शोध में पाया गया है कि न्यायिक विलंब का एक मुख्य कारण अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य पेश करने में देरी है।

ब. बुनियादी ढाँचे का अभाव:

झाँसी में पॉक्सो मामलों की बढ़ती संख्या के अनुपात में विशेष न्यायालयों की संख्या, समर्पित अभियोजन पक्ष, और विशेष कानूनी सहायता वकीलों की कमी है। न्यायाधीशों को अक्सर डिजिटल साक्ष्य या बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति से संबंधित जटिल तकनीकी मामलों को समझने में कठिनाई होती है।

4.3. उपेक्षित पुनर्वास तंत्र

पॉक्सो अधिनियम की धारा 39 पुनर्वास पर जोर देती है, जिसे **स्वयंसेवी संस्था बनाम भारत संघ** [4] में भी रेखांकित किया गया था। झाँसी में, पुनर्वास तंत्र एक गंभीर चुनौती है [20]।

अ. वित्तीय और मनोवैज्ञानिक सहायता:

पीड़ितों को त्वरित मुआवजे का भुगतान अक्सर सरकारी लालफीताशाही (red tape) के कारण विलंबित होता है। सबसे बड़ी कमी दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक परामर्श में है [13]। झाँसी में सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षित क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट या सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत कम है, जिससे पीड़ित बच्चे दुबारा समाज में समायोजित होने के लिए संघर्ष करते हैं [15]।

ब. शिक्षा और सामाजिक पुनर्समायोजन:

यौन शोषण के बाद बच्चों की शिक्षा अक्सर बाधित हो जाती है। पुनर्वास में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि बच्चे बिना कलंक के अपनी शिक्षा जारी रख सकें। बाल कल्याण समिति (CWC) [16] की निगरानी और सामुदायिक समर्थन [19] की कमी के कारण यह मुश्किल हो जाता है।

5. सुधार और नीतिगत सिफारिशें

झाँसी जिले में पॉक्सो को प्रभावी बनाने के लिए न्यायिक, डिजिटल और सामाजिक-पुनर्वास स्तर पर समन्वित सुधार आवश्यक हैं।

5.1. डिजिटल और न्यायिक सुधार

1. **डेडिकेटेड साइबर-फोरेंसिक सेल:** झाँसी पुलिस के भीतर एक **विशेष पॉक्सो फोरेंसिक सेल** का गठन किया जाए, जिसमें डिजिटल साक्ष्य संग्रह में प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञ हों।
2. **न्यायिक डिजिटल साक्षरता:** विशेष न्यायालयों के न्यायाधीशों और लोक अभियोजकों के लिए डिजिटल साक्ष्य के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर **अनिवार्य आवधिक प्रशिक्षण** [11] सुनिश्चित किया जाए।
3. **केस प्रबंधन प्रणाली:** न्यायिक विलंब को ट्रैक करने के लिए एक मजबूत **केस प्रबंधन प्रणाली** लागू की जाए जो प्रत्येक मामले की समय सीमा की निगरानी करे और विलंबित होने पर स्वतः अलर्ट जारी करे [12]।

5.2. पुनर्वास और संस्थागत सुधार

1. **पुनर्वास निधि का त्वरित वितरण:** राज्य सरकार को त्वरित मुआवजे और पुनर्वास के लिए एक समर्पित 'पॉक्सो पीड़ित राहत निधि' स्थापित करनी चाहिए, जिसका वितरण **CWC** [16] के माध्यम से 30 दिनों के भीतर हो।
2. **मनोवैज्ञानिक सहायता नेटवर्क:** झाँसी के प्रमुख अस्पतालों और CWC के साथ समन्वय में **मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं का एक नेटवर्क** स्थापित किया जाए जो पीड़ितों को दीर्घकालिक और निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करे [20]।
3. **सामुदायिक स्तर पर समर्थन: ग्राम-स्तरीय बाल संरक्षण समितियों (VLCPC)** को सक्रिय किया जाए [21] ताकि सामाजिक पुनर्समायोजन (social re-integration) के दौरान पीड़ित और उसके परिवार को सामाजिक कलंक से बचाया जा सके [15]।

6. निष्कर्ष

डिजिटल युग ने बाल यौन शोषण के विरुद्ध लड़ाई को और भी जटिल बना दिया है। झाँसी जिले के संदर्भ में किया गया यह विश्लेषण दर्शाता है कि पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन डिजिटल चुनौतियों, गंभीर न्यायिक विलंब [12], और अपर्याप्त पुनर्वास तंत्र के कारण प्रभावित होता है। त्वरित न्याय का संवैधानिक लक्ष्य केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल साक्ष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए उन्नत किया जाए [7, 11] और दंडात्मक दृष्टिकोण से हटकर पीड़ितों के **दीर्घकालिक कल्याण और पुनर्वास** को

केंद्रीय प्राथमिकता दी जाए [4, 20]। झाँसी में बाल संरक्षण की चुनौती का सामना करने के लिए, कानून, प्रौद्योगिकी और सामाजिक कल्याण को एकीकृत करने वाले एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

7. संदर्भ

1. **लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012** (पॉक्सो अधिनियम, 2012). भारत सरकार.
2. **संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (UNCRC)**, 1989.
3. **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)**. *भारत में अपराध रिपोर्ट – 'बच्चों के खिलाफ अपराध' खंड.* (नवीनतम उपलब्ध वर्ष - 2023).
4. **स्वयंसेवी संस्था बनाम भारत संघ**. (2020) 10 SCC 113. (सर्वोच्च न्यायालय का पॉक्सो के तहत पुनर्वास पर महत्वपूर्ण निर्णय).
5. **एक्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**. (2022) SCC Online All 750. (इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायिक विलंब पर अवलोकन).
6. **नंदलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य**. (2018) 12 SCC 200. (बाल गवाहों की विश्वसनीयता और त्वरित ट्रायल पर सर्वोच्च न्यायालय का दिशानिर्देश).
7. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार**. (2021) 1 SCC 210. (पॉक्सो मामलों में फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य के महत्व पर निर्णय).
8. **शर्मा, आर.** (2020). *पॉक्सो अधिनियम का सामाजिक विधिक प्रभाव: एक आलोचनात्मक अध्ययन.* दिल्ली: लीगल पब्लिशर्स.
9. **वर्मा, एस.** (2019). *बाल यौन शोषण के मामलों में रिपोर्टिंग की बाधाएं.* जर्नल ऑफ सोशल वर्क, 25(3), 45-60.
10. **यादव, ए.** (2021). *बुंदेलखंड क्षेत्र में बाल संरक्षण: सामाजिक गतिशीलता.* सोशियोलॉजिकल रिव्यू, 40(1), 110-125.
11. **सिंह, के.** (2018). *भारतीय पुलिस बल में ट्रॉमा-सूचित दृष्टिकोण और डिजिटल अपराध प्रशिक्षण का कार्यान्वयन.* क्रिमिनोलॉजी जर्नल, 35(4), 50-70.
12. **त्रिपाठी, एम.** (2022). *पॉक्सो मामलों में न्यायिक विलंब: विश्लेषण और समाधान.* लॉ रिव्यू, 5(2), 150-165.
13. **कमिटी फॉर चाइल्ड राइट्स**. (2017). *भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण की व्यापकता और संस्थागत प्रतिक्रिया.* नई दिल्ली: एनजीओ रिपोर्ट.
14. **चौहान, डी.** (2023). *पॉक्सो के तहत मृत्युदंड का प्रावधान: एक नैतिक और विधिक बहस.* इंडियन जर्नल ऑफ लीगल रिसर्च, 10(1), 5-20.
15. **मिश्रा, पी.** (2016). *बाल यौन शोषण: समाज में कलंक और चुप्पी की संस्कृति.* सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 8(3), 88-105.
16. **सरकार, आर.** (2020). *बाल कल्याण समिति: चुनौतियाँ और भूमिका.* पब्लिक पॉलिसी जर्नल, 15(4), 220-235.
17. **गोस्वामी, एन.** (2019). *उत्तर प्रदेश में पॉक्सो कार्यान्वयन की क्षेत्रीय असमानता.* विकास अध्ययन, 28(2), 75-90.
18. **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**. (2015). *पॉक्सो मामलों में चिकित्सा-विधिक जाँच पर दिशानिर्देश.* भारत सरकार.
19. **कुमार, वी.** (2022). *ग्रामीण भारत में बाल सुरक्षा और जागरूकता.* जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज, 50(1), 30-45.
20. **रॉय, पी.** (2018). *पॉक्सो अधिनियम में पुनर्वास की कमी: एक मानवाधिकार दृष्टिकोण.* ह्यूमन राइट्स क्वार्टरली, 40(3), 510-530.
21. **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)**. (2021). *पॉक्सो पर राज्यों की प्रगति रिपोर्ट.*
22. **इंटरनेशनल चाइल्डलाइन इंडिया**. (2020). *भारत में बाल यौन शोषण के ट्रेंड्स.* (डेटा रिपोर्ट).
23. **कानून और न्याय मंत्रालय**. (2019). *पॉक्सो संशोधन अधिनियम, 2019 पर टिप्पणी.* भारत सरकार.
24. **त्रिपाठी, आर.** (2017). *बाल साक्ष्य और डिजिटल प्रमाणन: विधिक चुनौतियाँ और समाधान.* क्रिमिनल लॉ जर्नल, 60(4), 320-335.
25. **झा, एस.** (2021). *परिवार में यौन शोषण: सामाजिक-विधिक प्रतिक्रिया.* फेमिनिस्ट लीगल स्टडीज, 45(2), 180-195.